

इस माग में मिन्न पृष्ठ संख्या वी जासी है जिससे कि यह झलग संकलन के क्ष्य में रखा जा सके। Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

(रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के झन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारएए नियम जिनमें साधारएए प्रकार के आदेश, उपनियम झाबि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

# गृह मंत्रालय

# नई दिल्ली, 30 मार्च 1973

सा. का. नि. 382. केन्द्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्धारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्यारा निम्नुलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. (1) ये विनियम "नागरिक स्टिक स्वितियम", 1973 कहलायांगे ।

> (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में, विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तर्निविष्ट किया जायेगा ; अर्थात् :--- "5 (क) पदावधि---विनियम 5 के अधीन एक अभ्यर्थी को प्रारम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए कोर की सद्स्यता प्रदान की जायेगी जो कि हर बार तीन वर्ष की अवधि के लिये एक से अधिक बार बढ़ायी भी जा सकेगी।"

> [सं. 10/5/71-महानिद: नाग. रक्षा(नाग. रक्षा)] बी. आर पटल, संघुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, 30th March, 1973

G.S.R. 382.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Civil Defence Regulations, 1968, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Civil Defence (Amendment) Regulations, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Civil Defence Regulations, 1968, after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:---

"5(A) Tenure—A candidate shall be enrolled as a member of the Corps under regulation 5 initially for a tenure of three years which may be extended more than once each time by a further period of three years."

> [No. 10/5/71-DGCD(CD)] B. R. PATEL, Joint Secy.

#### सुद्धिपत्न

#### नई दिल्ला, 31 मार्च, 1973

सां० का० लि० 383.----दिनांक 3 फरवरी 1973 के भारत के राजपत्न में प्रकाशित इस मन्त्रालय की मधिसूचना सं० सा० का० नि० 87 में नियम 1 में "1972" प्रंकों के स्थान पर "1973" पढ़े ।

[स 11/5/71-माई०सी०एफ०एस० (पर्सनल-1)]

#### CORRIGENDUM

#### New Delhi, 31 March 1973

**G.S.R** .383.—In this Ministry's notification No. GSR 87 published in the Gazette of India dated the 3rd February 1973, in Rule 1 for the figure "1972" read "1973".

[No. 11/5/71-ICFS/Pers. I]

# सुति प

सा० का० वि० 384.—दिनांक 3 फरवरी 1973 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मन्द्रालय की ग्रश्चिसूचना सं० सा० का० नि० 88 में नियम 1 में "1972" ग्रंकों के स्थान पर "1973" पढ़े।

[(मं 1 1/5/7 1-म्राई०सी०एफ० एस० (पर्सनल-1)]

पी० कें० जी० काइमल, अवर सचिव

#### CORRIGENDUM

G.S.R. 384.—In this Ministry's notification No. GSR 88 published in the Gazette of India dated the 3rd February, 1973, in Rule 1 for the figure "1972" read "1973".

[No. 11/5/71-ICFS/Pers. I] P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

# वित्त मंत्रालय

# (आर्थिक कार्ष विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च 1973

सा. का. नि. 385.—संविधान के उपबन्ध 309 ड्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुप राष्ट्रपत्ति, भारतीय दुतावास, आर्थिक स्कन्ध, वाशिंगटन में प्रथम सचिव (आर्थिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के एतत्र्यारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:---

(1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) थे नियम वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, प्रथम सचिव (आर्थिक) आर्थिक स्कन्ध, भारतीय दूत्तावास, वाशिंगटन भर्ती नियम, 1973 कह जायेंगे।

 प्रकृतिकत :- ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 तारीख से लागू होंगे ।

 प्रकृषितः — ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्धारित पद पर लागू होंगे ।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- पद्दों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वहीं होंगे जो उक्त अनु-सूची के कालम 2 से 4 में निर्धारित कैं।

4. भरती की पड्धति, आषुसीमा और अन्व अर्हताएं :--भरती की पड्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य वारों वहीं होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्धारित हैं"।

अनर्हताएं :- कोई व्यक्ति, जिसने :---

- (क) किसी एसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो, जिसका पत्ति/पत्नी जीवित ह", अथवा
- (ख) अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो,

उक्त पद पर नियूक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाय कि ऐसे व्यक्तियों को वैयक्तिक विधि के अनुसार इस प्रकार के पिषाह की अनुमति हे और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकती हैं।

6. छट्ट वुंने की शक्ति :--जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इन नियमों के किसी उपवन्ध में किसी श्रेणी के अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छटूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर हा वहां उसके कारणों का लिखित रूप से उस्लेख करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके छटूट दे सकती हा ।

7. श्याब्रितः :---सरकार इवारा समय समय पर जारी किये गर्थ आदरेशों के अनुसार अनुस्चित्त जाति और अनुस्चित्त जनजाति और अन्य वर्ग विशेष के व्यक्तियों के लिये प्रारक्षण और अन्य अपैक्षित सुविधाएं वृंने पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ोगा । SEC. 3(i)]

			प्रनुसूची			
क्रम सं∘ पदनॉम	 पद संख्या	वेतनमान	 क्या पद प्र वरण है या भ्रप्नवरण	सीधी भरती वालो के लिये ग्रायुसीमा	सीधी भरती वालो के लिये श्रपेक्षित <b>गैक्ष</b> णिक धौर <b>गर्ह</b> ताए ।	क्या सीधी भरती वालो के लिय निर्धारित प्रायु प्रौर शैक्षिक योग्यताएं पदो- फ्रति ग्रंतरण के मामले में लागू होगी।
1 2	3	4	5	6	7	8
1 प्रथम सचिव (भार्षिक) ग्राधिक स्कन्ध, वाणिगटन		<b>₹</b> 0 900-50- 1000-60- 1600-100- 1800	लागू नही होता।	लागू नही होता ।	लागू नही होता।	लागूनही होता।
परिकीक्षाकी ग्रवधि, यदिको हो ।	ई भारती पद्धति, क्या सीधी भरती द्वारा प्रथवा पर्वोभति द्वारा प्रयवा प्रति- नियुक्ति / मथवा भंतरण द्वारा भौर विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रति- मतता।	की दिशा में	′प्रतिनियुक्ति द्वारा भ वे ग्रेड जिनसे पदोभ्र ∕ग्रन्सरण किया आय	রি/ <b>জ</b> বি	है तो उसका	परिस्थितिया जिनमें भरती करते समय सघ लोक सेवा मायोग से परा- मर्श किया जाना है।
9	10		11	1	2	<u>13</u>
 लागू नहीं होता ।	 प्रतिनियुक्ति पर <b>ध</b> न्त- रण ब्रारा ।	प्रणासन स् वरिष्ठ क्षेत समकक्ष ग्रेड के मधिका सेवा केग्रे मधवा उसके र्माधिक म काम का (प्रतिनियुक्ति	त्त्रा/भारतीय विवेश नमान भधिकारी त के भारतीय श्रार्गि री मथवा केन्द्रीय स 'ड I/प्रवरण ग्रेड भ के समकक्ष भधिक मिलो, ऋणों मादि भनुभव है।	सेवा के भ्राथवा शक सेवा जिवालय धिका री शि जिन्हे सम्बन्धी गम्पतः 4	 ही होता ।	 सष लोक सेवा झायोग (परामर्श से छ्ट) नियम, 1958 में जैसा झपेक्षित है ।

#### MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) New Delhi, the 21st March, 1973

G.S.R. 385.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of First Secretary (Economic), Embassy of India, Economic Wing, Washington, under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), namely:—

1. Short title and commencement.—()) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, First Secretary (Economic), Economic Wing, Embassy of India, Washington Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached  $\sim$  thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

- [(सं॰ जी-11019/2/71/प्र॰ 3)] एस०एल०दत्त, ग्रयवर सचिव,
- 5. Disqualification :--- No person---
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a pouse living, or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permisible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

					SCHE	EDULÉ					
S. Name of the No. Post	No. of Posts	Classificati	on.	Scale of Pay	]	Whether selection post or non-selec- ion post.			quali	ational and ifications rec lirect recruits.	
<u> </u>	2		3	4		5		6		7	
1. First Secretary (Economic), Embassy of India, Econo- mic Wing, Washington	Опе	General Service (Gazette	Class-I	Rs. 900-50- 60-1600-10		Not applicable.	Not a	pplicable.	Not	applicable.	
Whether age an educational quali fications prescrib for the direct recru will apply in t case of promotees transfers.	i- bation ed its he	nd of pro-	ment whe ect recru by promo deputation and perco the vacan	ether by dir- itment or otion or by on/transfer entage of ncies to be by various	motion/ grades	of recruitment b (transfer/deputatio from which prom ion/transfer to be	n/ otion/	If a D.P.C. ists, what is composition	its ?	Circumstances which UPSC be consulted making recruit	in
8		9		10		11		12		13	
Not applicable.	Not appli	cable.	By trans: deputatio		Senior Indian Indian officers the Ind Grade cers of Service experie to econ dits, ct	Administrative S Foreign Servic of evquivalent Gr ian Economic Set I/Selection Grad the Central Scor or equivalent nce of work for omic matters, loar	e or vice of e Offi- etariat having elating	Not applicab	1	As required the Union I Service Comm (Exemption Consultation) gulations, 19	ission from Re-
						of deputation ord: ceeding 4 years).	inarily				
							inarily 			 19/2/71-Admn. DUTT, Under \$	-
	(केन्द्रीय	प्रस्यक्ष कर	थोई)				inarily	S		OUTT, Under S	iecy.
		 प्रत्यक्ष कर शुद्धि पक्ष	थोई)			eeding 4 years).					iecy.
						( 1 )	पंक्षित के	( 2)	. L. E	OUTT, Under 8	iecy.
सा०का०वि० 380 प्रकाशित अधिसूचना में प्रकाशित अधिसूच	नई विल्ली, 6.—भारत सं० का०!	<b>शुद्धि पक्ष</b> 31 मार्च, 1 <b>मायकर</b> के राजपक्ष, सा म्रा०4041, दि	.973 धारण, भाग नॉक 15		nòt exc - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	eeding 4 years). (1) पैरा 2 की द्वितीय पैरा 2 के ग्रन्नगंत	पंक्ति के पंक्ति 48ज -	S 	. L. E	DUTT, Under S	iccy. भोर
<b>सा०का०नि०</b> 38। प्रकाशित अधिसूचना	नई विल्ली, 8.—भारत सं० का० <sup>9</sup> ला में नि	शुद्धि पत्थ 31 मार्च, 1 मायकर के राजपत्न, सा प्रा०4041, रि म्नलिखित संगो	.973 धारण, भाग लांक 15 धन किये	नवम्बर, 197 जायेंगे।	not exc में 2	eeding 4 years). (1) पैरा 2 की द्वितीय पैरा 2 के ग्रन्तर्गत 48च की तीसरी पैरा 2 के ग्रन्तर्गत की प्रन्तिम पंक्ति	पंक्ति के पंक्ति 48ज. रा)	S की आएगी: 1″1	. L. E  न	OUTT, Under \$ (3)  में के भाधार की जाएग	iccy. भौर ग
सा०का०मि० ३८। प्रकाशित प्रधिसूचना में प्रकाशित प्रधिसूच	नई विल्ली, 8.—भारत सं० का० <sup>9</sup> ला में नि	शुद्धि पत्थ 31 मार्च, 1 मायकर के राजपत्न, सा प्रा०4041, रि म्नलिखित संगो	.973 धारण, भाग लांक 15 धन किये	नवम्बर, 197 जायेंगे।	not exc में 2	eeding 4 years). (1) पैरा 2 की द्वितीय पैरा 2 के ग्रन्तर्गत 48च की तीसरी पैरा 2 के ग्रन्तर्गत की प्रस्तिम पंक्ति पृष्ठ 1 (कालम क्षूस पैरा 3 के ग्रन्तर्गत	पंक्ति के 48ज. रा) III कख	S की आएगी: 1″1	. L. E  न	OUTT, Under \$ (3)  में के भाधार की जाएग	iccy. भौर ग
सा०का०मि० ३८। प्रकाशित अधिसूचना में प्रकाशित अधिसूच सन्दर्भ (पृष्ठ सं० ग्र (1)	नई विल्ली, 8.—भारत सं० का० <sup>9</sup> ला में नि	<b>शुद्धि पत्व</b> 31 मार्च, 1 मायकर के राजपस्न, सा प्रा० 4041, रि म्नलिखित के	.973 धारण, भाग लांक 15 धन किये	नवम्बर, 197 जायेंगे। 	not exc में 2	eeding 4 years). (1) पैरा 2 की द्वितीय पैरा 2 के ग्रन्तर्गत 48च की तीसरी पैरा 2 के ग्रन्तर्गत की प्रन्तिम पंक्ति पैरा 3 के ग्रन्तर्गत की प्रथम पंक्ति	पंक्ति के 48ज 48ज रा) III कख	S की आएगी: 1″1	. L. E  न	OUTT, Under \$ (3)  में के भाधार की जाएग	धेट्ट्र. भ्रौर गा
सा०का०नि० 380 प्रकाशित अधिसूचना में प्रकाशित अधिसूच सन्दर्भ (पुष्ठ सं० ग्र	नई विल्ली, ६.—-भारत सं० का० त्वा में नि ादि) नि 	<b>शुद्धि पत्व</b> 31 मार्च, 1 मायकर के राजपस्न, सा प्रा० 4041, रि म्नलिखित के	.973 धारण, भाग लांक 15 धिन किये लिए निम्न	नवम्बर, 197 जायेंगे। 	not exc 	eeding 4 years). (1) पैरा 2 की द्वितीय पैरा 2 के ग्रन्तगंत 48च की तीसरी पैरा 2 के ग्रन्तगंत की प्रस्तिम पंक्ति पृष्ठ 1 (कालम क्रूस पैरा 3 के ग्रन्तगंत की प्रथम पंक्ति	पंक्ति के 48ज - 1 रा) 111 कख ग ग	S की आएगी: 1″1 रजिस्ट्रीक्रत मूर	. L. E  न	OUTT, Under S (3) में के माधार की जाएग रजिस्ट्रीक्वत मूर	sccy. भीर गा" यांकक

788

	<u></u>	
(1)	(2)	(3)
दसेबी पंक्ति	ग्रपील का आधार	*ग्रपील का माधार
मीचे से		
<b>बारहवी</b> पंक्ति	लिखित	लिखत
पांच <b>वों पंगि</b> स	<b>भ्र</b> स्तरित*	मन्तरिती
दूसरी पंक्ति	* 6 यदि जगह	* 6.यदि जगह
पुष्ठ 2 (कालम दूसरा)		
कम सं० 9	प्रक्कलित	<b>प्राक्क</b> लित
क्रम सं०11	लिखत	लिखित
क्रम सं० 12 (ख)	भीक्य	श्राधाय
पृष्ठ 3 (कालम पहला)		
ऊपर से		
20वीं पक्ति	(नियम 49ज देखिए)	(नियम 48ज देखिए)
2 2षीं पंक्ति	रजिस्ट्रीकर्त्ता का नाम	रजिस्ट्रीकर्त्ता मधिकारी
		का नाम
26वी पंक्ति	समु <del>प्र</del> च	समुच्चय
3 2वीं पंक्ति	सम्पत्ति का मन्तरण	संपत्ति का अन्तरण*
नीचे से		
चौथी पक्ति	विवरणों	<b>विवरणी</b>
पृष्ठ ३ (कालम वूसरा)		
कम सं०(iv) की प्रथम प	ाक्ति दस्ताज	दस्तावेज
कम सं० (v) की तीसरी पं	<del>वित्त</del> पदाम्बिधान	पदाभिधान
नीचे से सोलहबी पंक्ति	ढारा मेरे	<b>द्वारा *मेरे</b>
पुष्ठ 4 (कालम पहला)		
ऊपर से नवीं पनित	यह कथन करता हू	यह कथन करना है
पृष्ठ 4 (कालम दूसरा)		
ऊपर से नवीं पंक्ति	(ii) धारा…	*(ii) धारा…
ग्रन्तिम पंक्ति	म्रो०पी० भारताज,	म्रो० पी० भारद्वाज,
	सचिव	सचिव, केन्द्रीय
		प्रत्यक्ष कर बोर्ड
····	227(15070 142)	30)/72-200000000000000000000000000000000000

[सं० 327(फ॰सं० 142(30)/72-टी॰पी॰एल॰)] भी० पी॰ भारदाज, सचिव

# णित्त मन्त्रालय (राजस्व और जीमा जिभाग)

# सुद्धि पत्र

# नई दिल्ली 14 मप्रैल, 1973

सा०का०नि० 387.—–भारत के राजपत्न, भाग 2,खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 13 जनवरी, 1973 के पृष्ट 27 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंतालय (राजस्व ग्रीर त्रीमा विभाग) की ग्रधियूचना सं० सा०का०नि० 28 (सं० 5/73 सीमाणुल्ल/फा० सं० 476/32/72-सीमा णुल्क-7), तारीख 13 जनवरी, 1973 में,—–

> ''चालीस रु०'' के स्थान पर ''पचाम क०'' पढे। [फा० सं 476/32/72-सीमाणुल्क] के० गॅकर रामन, मवर सीचव

# (Department of Revenue and Insurance) CORRIGENDUM

#### New Delhi, the 14th April, 1973

G.S.R. 387.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 28 (5/73-Customs/F.No.476/32 72-Cus. VII) dated the 13th January, 1973, published at page 28 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 13th January, 1973 for "forty rupees", read "fifty rupees".

[F. No. 476/32/72-Cus. VII] K. SANKARARAMAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

#### (Department of Agriculture)

#### CORRIGENDUM

#### New Delhi, the 31st March, 1973

**G.S.R.** 388.—Year "1966" appearing in the last line of para 1 of G.S.R. 1131 dated the 28th August, 1972 published in Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (1) dated the 16th September, 1972 may be amended to read as "1969".

[71-20/71-CA-1]

J. S. UPPAL, Dy. Secy.

# स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

#### (धीरणार निर्णाजन विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

सा. का. नि. 889.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक इयारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतक्क्षारा धरिवार नियोजन विभाग में अभियान अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रणासी का विनियमन करते हुए निम्नलिखित निष्म बनाते हूँ, जैसेः—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :---
- इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग में (अभियान अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. उपयोजमः

ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्िक्ष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण सभा वेतनमान :

पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेलनमान वहीं होंगे जैसा कि अनुसूची के ब्तम्भ 2 से 4 में निर्ीकृट हैं ।

4. भर्ती की बिधि, आयु सीमा, अईताएं आदि :

उक्स पदों पर भर्ती की विधि, आय, सीमा, अर्हताएं सथा अन्य बारों वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हें ।

परन्तु, केन्द्रीय सरकार त्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित्त जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गा के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती हें।

# 5. अनहताः --- कोई व्यक्ति,

- (क) जो किसी एंसे व्यक्ति से विवाह करता/करती हैं अथवा विवाह की संविदा करता/करती हैं जिसका पति था जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में निय्द्रीक्त का पात्र नहीं होगा ।

परन्त, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुहोय हैं, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं।

# 6. रिाभिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हैं बहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ले कर आवेश जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छट्ट दे सकती हैं।

7. **अपमार :** 

इस संबंध में कैन्द्रीय सरकार इवारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा बिशेब बगों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपीक्षत हो उन पर इन नियमों में शिक्क किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

				- 3X-11			
 पदनोम पर्वो	की संख	या वर्गीकरण		भ्या सेलेक्थान पद प्रथमा गैर सेलेक्बन पद	सीधी भर्ती के	-	— — — – – – – – – – – – – – – – – – – –
1	2	3	4	5	6		7
<b>ग्र</b> भियान मधिकारी	एक	स।मान्य केन्द्रीय सेव, श्रेणी I राज- र्पान्नत	το 700-40- 1100-50-2- 1250	लागू नही होता	लागू नही	होत.	लागू नही होता
क्या पदोस्नति से रखे जाने वा उम्मीदवारो के मामले सीधी भर्सी किए जाने क व्यक्तियो के लिए निर्धा ग्रायु ग्रोर प्रैक्षिक महें सायु ग्रोर प्रैक्षिक महें सायु ग्रोरा।	में श्र गणे रित	वधि यदि कोई हो ।	र्षि का तरीक। सीधी भर्त द्वारा या पदोर्झति के द्वार ग्रथवा स्वानान्तरज ब द्वारा तथा विभिन्न तरीव द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिक्रसता ।	ा स्यानान्तरण के के मामले में वे ग्रेड हो या प्रतिनियुक्ति	द्वारा भर्ती के जिनसे पदोन्नति या स्थाना-	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है नो उसका क्या गटन है ।	परिस्थितियां जिनमें झर्ती केलिए सधीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है ।
8		9	10	11		12	13
लागू नही होता	τ.	••	इतियुक्ति पर स्थानाल्तर द्वारा	ण प्रतिनियुक्ति प केन्द्रीय सूबना I के प्रधिकारी के स्टेशन (सामान्य सेन होने पर ग्रेड मे पांच वर्ष की सेव मूचना सेवा, ग्रे कारी। प्राशक यक स्टेशन डाइ प्रधिकारी (प्रा थबधि भ्राधिक	माकामवाणी उ।इटेक्टर ता); ऐसा न ाकम से कम ावाले केन्द्रीय ड II के म्राधि- ावाणी के सहा रेक्टर ग्रेड के सेनियुक्ति की रेपर तीन	· लागू नष्ठी होत।	संघ लोक सेवा ग्रायोग (परामर्श से छूट) नियमा- वली, 1958 के ग्रन्सर्गत यथोपेक्षित

# **मनुसूची**

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Department of Family Planning)

New Delhi, the 12th March, 1973

**G.S.R. 389.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Persident hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Campaign Officer in the Department of Family Planning, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Department of Family Planning (Campaign Officer) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column 1 of the Schedule Annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment to the said post, agè limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. Disgualification .--- No person,---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	No. of Posts	Classificati	ion Scale	of Pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Age limit for direct recruits	gu	lucational and other alifications required or direct recruits
1	2	3		4	5	6		7
Campaign Officer	One	General Service, Gazetted	Central Rs. Class I,	700-40 50/2-1		Not applicab	le I	Not applicable
Whether age and educational quali floations prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	- batio 1 s	od of pro- on, if any		direct on or trans- ntage tes to	In case of recruitment by motion/deputation/transfer grades from which promo deputation/transfer to be r	tel Protion/ Commit	omotion lec what is	Circumstances in which Union Publia Service Commis- sion is to be consult- ed in making rec- ruitment
8		9	10		11		12	13
Not applicable	Not	applicable	By transfer of tation	n depu-	Transfer on Deputation Grade I Officer of the C Information Service/S Directors (Ordinary C of All India Radio; f which Grade II officers Central Information S Officers of the grade of tant station/Directors. India Radio with at lea years service in the (Period of deputation narily not exceeding years)	entral tation Grade) 'ailing of the ervice/ Assis- All ist five grade. ordi-	pplicable	As required under the Union Public Service Commis sion (Exemption from Consulta tion) Regulations 1958.

#### SCHEDULE

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 14, 1973/CHAITRA 24, 1895

[PART II-

#### नई विल्ली, 17 मार्च, 1973

सा०का०लि० 390.—संविधान के प्रमुख्छेद 309 के परन्तुक ढारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा परिवार नियोजन विभाग में मेकेनिक के पद पर भर्ती की प्रणानी का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे :---

# संजिप्त शीर्षक मौर प्रारम्भ

- इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग (मेकैनिक) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा।
- 2. ये सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

#### लागू होना

ये नियम इसके माथ संलग्न मनुसूची के स्तम्भ 1 में वितिर्दिश्ट पद पर लागू होंगे।

#### 3. संख्या, बर्गीकरण तथा वेतनमान

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जैसा कि मनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्विष्ट है।

#### मर्ती की विधि, आयु सीमा, प्रहेताएं प्रावि

उक्त पद पर भर्ती की विधि, म्रायु सोमा, मईताएं तथा अन्य वाते वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 मे निर्विष्ट है।

परन्तु उक्त मनुसूत्री के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित मायु सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आरी किथ गये मादेशों के मनुसार मनुसूचित जातियो, जन आनियों तथा म्रन्थ विशेष धर्गों के लिये छूट दी जा सकेगी। 5. झनहुंता : कोई व्यक्ति

\_\_\_\_

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है-जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

\_\_\_\_\_

(खा) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है ग्रथवा विवाह की सविवा करता/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाघान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भौर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के ग्राधीन मनुज्ञेय है, भौर ऐसा करने के भन्य माधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट वे सकती है।

छुट देने की सकित

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना ग्रावण्यक ग्राथवा समीषीन है वहां वह कारणो को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी भ्राथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा ग्रायोग से मलाह लेकर ग्रादेग जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट वे सकती है।

7. ग्रापवाब

इस सबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए भावेकों के भनुसार मनुसूचित जातियों भौर भनुसूचित जन जातियों तथा मन्य विशेष वर्गों के लिए जिन मारक्षणों मौर मन्य रियायतों की व्यवस्था करना म्रपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहिन किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

						मनुसूची						
	पदो की संख्या	 वर्गीकरण		वेतन-मान		सेलेक्शन पद अथवा सेलेक्शन पद	सीधी	भर्ती आयु				ो भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हेताए
<u> </u>	2	3		4		5			6			77
मेकेनिक	एक	सामान्य केन्द्रीय श्रेणी III मरा मलिपिकवर्गीय		रः० 150-5-175- 205-द०रो०-7-:			2 1	-28 •	र्ष र्ष		1)	वार्यः ) किसी मान्यता प्राप्त विषय बचालयबोर्ड से मैट्रिक पास
										(:		किसी मशीन के कारखाने में काम आने वाले खराद तथ प्रत्य मशीनी प्रौजारों के प्रयोग में कम से कम पांच वर्ष क प्रमुभव होना धावश्यक है तथा प्राफसेट मुद्रेण धौ सम्यन्धित मशीनों के प्रनुरक्षण में भी पूर्ण निपुण होना चाहिये
-										শা		ीय : तकनीकी म्रहंता जैसे वि फिटर ट्रेडमे माई० टी० म्राई० का प्रमाण पत्न ।
क्या पदोन्नति से र उम्मीदवारों के माग भर्ती किए जाने वा के निर्धारित प्रायु प्रहेताएं लागू स	मले मे सी ले व्यक्ति स्रौर शैक्षि	धी वीक्षा यो की अवधि	ढाराय झथका तथा पि	त तरीका सीधी भर्ती । पदोन्नति के द्वारा स्थानान्तरण के द्वारा वेभिन्न तरीको द्वारा गने वाले पक्षो की ता।	न वे य	वोन्नति या प्रतिनियु िन्तरण के द्वारा भर्ती ग्रेड जिनसे पवोन्नति य ास्थानान्तरण किया ः	के माम गप्रतिनि	ले मे ।युक्ति	न्नति	ं विभागीय त समिति का क्या गठन	ŧ	तो के लिये संघीय लोग
8		9		10		11				12		13
लागू नहीं होता		दो वर्ष	सी	धी भर्ती तारा		लागू नहीं होता			ŧ	तागू नही हो	ता	लागू नही होता

[सख्या ए० 12018/6/72-स्थापना 1]

Name of post

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic in the Department of Family Planning, namely:

1. Short title and commencement : (i) These rules may be called the Department of Family Planning (Mechanic) Recruit—ment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column I of the Schedule Annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay: The number of the said post, its classification and the scale of pay attached there-to shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

No. of

DOSts

and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. Disgualification : No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Age limit for direct

recruits.

# Classification Scale of Pay Whether Selection Post or non-Selection Post 3 4 5

SCHEDULE

1 2 5 6 General Central service Rs. 150-5-175-6-205-EB- Not applicable Mechanic One 21-28 years Class III Non-Gazet-7 - 240ted. Non Ministerial Education and other qualifications required for direct recruits. Whether age and educational qualifications Period of probation prescribed for direct recruits will apply in if any the case of promotees. 7 8 q Essential : (i) Matriculation from a recognised University/Board Not applicable Two years (ii) Must have at least five years' experience of lathe and other machines tools used in Machine workshop and be fully conversant with maintenance of offset printing and allied machines. Desirable : Technical qualification such as I.T.I. Certificate in Fitter trade. Method of rectt. whether by In cases of recruitment by If a Departmental Circumstances in which Union direct or by promotion or by deputation/transfer and Promotion/deputation/transfer, Promotion Committee Public Service Commission grades from which promotion/ is to be consulted in making exists, what is its percentage of the vacancies to composition deputation/transfer to be made. recruitment. be filled by various methods. 10 11 12 13 Not applicable By direct recruitment Not applicable Not applicable

[No. A. 12018/6/72-Estt, I]

\_\_\_\_

सा०का०नि० 391.----संविधान के भ्रतुक्छेद 309 के परन्तुक ढारा प्रदम्त णक्तिया ना प्रयाग करने हुए राष्ट्रपति एनद्ढारा परित्रार नियाजन विभाग म खाता नवीस के पद पर भर्ती की प्रणाली का विनियमन करने हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे ---

# 1. संक्षिप्त शीर्वंक ग्रोर प्रारम्भ :

1 इन नियमो को परिवार नियोजन विभाग (बाता नबीस) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा।

2 ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशिल होने की तिथि से लागू होगे।

#### 2 लागु होनाः

ये नियम इसके साथ सलग्न श्रनुसूची के स्तम्भ 1 मे निर्दिष्ट पद पर लागू होगे ।

#### संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

उक्त पद की सख्या, उसका धर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जैसा कि ग्रनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 मे दिर्लिडिय्ट है।

# 4. भर्ती को थिधि, ग्रायु सीमा ग्रहताएं ग्राविः

उक्त पद पर भर्ती की विधि, ग्रायु सीमा, ग्रहैताए तथा श्रन्थ आने वही होगी जैमा कि उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 से 1.3 मे निर्दिष्ट है।

परन्षु उक्त प्रनुसूची के स्तम्भ 6 मे सीधी भर्ती के लिये निर्धारित ग्रायु सीमा म केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये ग्रादेशों के प्रनुसार ग्रनुसूचिन जातियो, जन जातियो तथा ग्रन्थ विशेष वर्गी के लिये छूट दी जा सकेगी। 5. ग्रमहेता काई व्यक्ति :

- (क) जा किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अश्ववा विवाह की सविदा करता/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीविस हो, अश्ववा
- (ख) जो व्यक्ति एक पति/पन्ती के जीवित रहते हुए किसो व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है ग्रायवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा मे तियुक्त का पाल नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि लेमा विवाझ ऐसे अयक्ति श्रीर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू झोने वाली विधि क प्रधीन श्रनुकेय है, स्रोर ऐसा करने के झन्य ग्राधार है, विसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकती है।

#### 6 छट देने की शक्तिः

जहा केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना श्रावश्यक प्रथमा समीचीन है वहा वह कारणो को लिखिल रूप मे रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी ग्रथवा वर्ग के व्यक्तियो के सयध मे सथ लोक सेवा ग्रायोग से सलाह लेकर आदण जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. ग्रपवार्थः

इस समध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर आरी किये गए आदेशो के अनुमार अनुसूचिन जातियो और अनुसूचित जन जातियो तथा अन्य विशोष वर्गों के लिए जिन आरक्षणा और अन्य रियायता की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नही परेगा।

_				अनुसूच।		
पदनाम _	पदो की संख्या	वर्गीक	ग्ण वेतनमान	 *या सेलेक्शन पद प्रथवागैर सेलेक्शन पद		————————————————————————————————————
1	2	3	4	5		7
खाना नयीस	<b>ए</b> क	सामान्य केन्द्री श्रेणी III पत्नित) (१ वर्गीय)		· · ·	<u> 18-25 वर्ष</u>	प्रनिवार्य . (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय प्रथवा वाड से मैट्रिक पास प्रथवा समकक्ष प्रहेता (2) किसी सरकारी सगठन य प्रसिद्ध वाणिज्य प्रतिष्ठान मे खाता तथा लेखा रखने क
क्या पद्मोन्नति उम्मीदवारो के भर्ती किए जान के निर्धारित क्र भ्रर्हताए	मामले मे स ने वाले व्यवि	ीधी वीक्षा लयो की क्षिक भ्रवधि	 भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्तति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीको द्वारा भरे जाने घासे पदा को प्रतिक्रतता		मले मे वे न्नसि ममिति तेनि्युक्ति काक्या गठ	लगभग दो वर्ष का प्रनुभव <b>बाछनोय</b> 1 टाइपिंग का ज्ञात— गति कम से कम 30 शब्द प्रसि मिनट । ोय पदा- परिस्थिसिया जिनमे भर है तो उस- के लिए सघीय खोक सेव
8	-		10	11		2 13
 लागू नहो	 ह्रोता	दो <b>त्र</b> र्थ		लागू नही होता	— लागू न	ही होता लागू नही होता
—						या ए. 12018/15/72-स्थापना

ग्रनस ची

[सच्या ए. 12018/15/72-स्थापना 1] ग्रार० पी० मरवाहा, ग्रवर सचिव

794

**G.S.R. 391.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ledger Keeper, in the Department of Family Planning, namely :---

1. Short title and commencement : (i) These rules may be called the Department of Family Planning (Ledger Keeper) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column I of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay: The number of the said post, its calssification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### 5. Disqualification : No person ---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	No. of posts		lassification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Sele- ction Post	Age limit for direct recruits
	2		3	4	5	6
Ledger Kceper	Onc	Class Gazet	III, (Non- tted) (Non-			Between 18-25 years.
Education and other	qualifications r	equired for	r direct recruits	prescribed for di in the case of Pro	lucational qualification rect recruits will apply motees	if any
				8		9
Essential : (1) Matriculation University or		t qualifia	tion of a recogni	zed Not applicable	e.	Two years,
(ii) About 2 yea ounts in a concern of ro	Government	of maintair Organisa	ning Ledger and A tion or Comme	Acc- rcial		
Desirable :	- [					
	of Typewriting-	-Speed of	at least 30 words			
be filled by variou	r by deputation of the vaca	on/trans-	transfer, grades		deputation/ If a Deputation/ If a Deputation/	partmental Promotion tee exists, what 1s position
				11		12
By promotion from employees of the Family Planning Health Services— recruitment	Ministry of H & the Dte. Ge	lealth &	N 	Iot applicable. 		Not applicable.
Circumstances in wh Commission is to recruitment.	be consulted in					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1						·
Not app	licable.					
		_				12018/15/72-Estt. 1]

# (स्वास्म्य विमाग)

# नई दिल्ली, 30 मार्च, 1973

सा० का० लि० 392.—संविधान के भनुच्छेद 309 के परन्तुक ढ़ारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्दारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक सिविल डिफेस), (चिकित्सा) भर्ती नियमावली, 1968 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामत::—

#### 1. सींकान्त शीर्वक ग्रीर प्रारम्म

- (1) ये नियम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक, सिविल डिफेस) (चिकित्सा) मर्ती (संगोधन) नियमावली, 1973 कहे जायें।
- (2) ये सरकारी राजपक्ष में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगे।

#### 2. लियम 5 का प्रतिस्थापन

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक, सिविल डिफेस) (चिकित्सा) भर्ती नियमावली, 1968 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जायेगा) के नियम 5 के लिये निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, नामत: :---

- ग्रनहेता : कोई व्यक्ति :
  - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है प्रथवा विवाह

की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी परनी जीवित हो, अधवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है प्रथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा मे नियुक्ति का पान्न नही होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति धौर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के ग्रधीन ग्रनुझैय है, धौर ऐसा करने के ग्रन्य ग्राधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

#### 3. नये नियम 7 का म्रन्तःस्यापन

उक्त नियमावली के नियम 6 के बाद निम्नलिखित तियम भ्रंत.-स्थापित किया जायेगा, नामत----

"7. क्यावृत्तिः ः—--इस संबंध में केन्द्रीय सरकार धारा समय-समय पर जारी किये गये ग्रादेशों के प्रनुसार प्रनुप्नूचित जाति/श्रनुसूचित जनजाति तथा प्रन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन घारक्षरएों झौर घन्य रियायतो को व्यवस्था करना घपेक्षित है, उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# 4. ग्रनुसूची का प्रतिस्थापन

उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची के लिये निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाय, नामतः :—

#### मन्सुची

स्थास्थ्य सेवा महानिवेशालय में निवेशक सिविल डिफेंस (चिकित्सा) के पद के लिये भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	<b>धर्गीक</b> रण	षेतनमान	पद सलैक्शन है स्रथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिए भायु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए प्रदेशित गैक्षिक तथा अन्य घ्रईताए
1	2	3	4	5	6	7
<u>।</u> निदेशक सिविल डिफेंस (चिकित्सा)	1)		रू 1300-60-1600	-	50 वर्षे, सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है।	द्रावश्यक : (i) भारतीय चिकिस्सा परिषध अधिनियम, 1956 की पहले या दूसरी मनुसूची या तीसर्र प्रनुसूची के भाग II (लाह सेसिएट प्रहेताम्रो को छोड़कर में सम्मिलित कोई चिकिस्स प्रहेता/तीसरी प्रनुसूची के भाग II में सम्मिलित षैक्षिप्त प्रहिता-धारियो को भारती चिकित्सा परिषद् प्रधिनियम 1956 की घारा 13(3) में निर्धारित भतों को भी पूर करना चाहिये । (ii) चिकित्सा, सर्जरी या जन स्वास्थ्य में सनातकोत्तर प्राहेंत
						या इसके तुल्य झहूंता। (iii) प्रणासन कार्य के झण्छे झनुभ के साथ इस क्यवसाय के का का 12 वर्ष का मनुभव (iv) किसी बड़े सिविल या मिलिट मस्पताल को चलाने तथ सिविल डिफॅस के संचालन क अनुभव। अन्यया सुयोग्य उमीदवारो मामले में आयोग के विवेक प महेताओं मे छुट दो जा सकराी है)

भेया पदोस्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारो के मामले मे प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित श्रायु ग्रौर गैक्षिक ग्रहंताए लागू होगी	परि- बीक्षा की प्रवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती ढारा या पदोन्नति के ढारा ग्रथवा स्थानान्तरण के ढारा तथा विभिन्न तरीको ढारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	पद्योन्नति प्रतिनिथुक्ति स्थानान्तरण केद्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्था- नान्तरण किया जाना है	थदि विभागीय पदो- न्तनि समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए सघीय लोक सेवा श्रायोग से परामर्शलिया जाता है
8	9	10	11	1 2	13
लागू सही होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थाना- न्तरण इसके न होने पर सीधी भर्ती बारा दोनों के न होने पर पुनः नियुक्ति बारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानाम्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों मे समान पवो पर कार्य कर रहे सुयोग्य भ्रधिकारी या जिनकी कमणः ६० 4501250 या द० 600-1300 के वेतनमान मे इन पदों पर 10 या 8 वर्ष की सेवा हो तथा जिनके पास सीधे भर्ती के लिये कालम 7 मे निर्धारित सैक्षणिक या भ्रन्य भ्रष्ट्रताये हो । (प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि साधारणत. 4 वर्ष से ग्रधिक नही)		संघ लोक सेवा प्रायोग विनियम 1958 के त्रधीन प्रयेक्षित (परा- मर्श से छूट)।
			पुनर्मियुक्तिः		
			सणस्त्र चिकिस्सा/कोर/केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के समुचिन रैक/स्तर के सेवा- निवृत्त प्रधिकारी जिनके पाम सीधी मर्ती के लिये कालम 7 में निर्धारित गौक्षणिक तथा प्रन्य प्रहुंताये हो। (इस विषय पर सरकार के प्रावेशो के प्रधीन साधारणतया पुनर्नियुक्ति के लिये स्वीकृत ग्रायु सक)।		

#### (Department of Health)

#### New Delhi, the 30th March, 1973

**G.S.R.** 392.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical] Recruitment Rules, 1968, namely:—

#### 1. Short title and commencement.---

(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical)] Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

# 2. Substitution of rule 5

For rule 5 of the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical)] Recruitment Rules, 1968 (hercin-after referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:---

#### "5. Disqualifications .- No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

- [मं०ए० 12018/10/71 स्थापना (नीति)] रवीन्द्रनाथ सिन्हा, ग्रवर सचिव
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

#### 3. Insertion of new rule 7

After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:---

"7. Suving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this legard."

#### 4. Substitution of the Schedule

For the Schedule to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:----

\_ \_ \_

-----

\_

SCHEDULE

\_\_\_\_

-\_\_\_\_

.\_\_\_\_\_

Recru	uitment Ru	les for	the post of Direct	or of	SCHED' Civil Defe		Director	ate Gener	ral of Ho	alth Services
Name of Post	<u> </u>	o. of	Classification		of Pay	Whether Selection Post or non- Selection Post	Age lim foi direc recruits		Educatio	onal and other qualifi required for direct
 I		2		· 4	4	5	6		_	
"Director of Civ fence (Medica		Central Class I, tted)		General Rs. 130 Central service 1600 Class I, (Gaze- ited)				50 years (Relax- able for Government servants)		I: medical qualification uded in the First of Second Schedule on the I of the Third Sche- of (other than licentiated lifications) to the Indian dical Council Act 6. Holders of educa al qualifications in- led in Part II of the rd Schedule should of fulfil the conditions ulated in section 13(3) the Indian Medica uncil Act, 1956. t-graduate qualifica- in Medicine, Surgery Public Health or equi- ent qualifications. years' standing in the fession with consider experience in admi- ration. erience of running a civil or military hospi- and in organising civil once. alifications relaxable Commission's discretior the case of candidates prwise well-qualified).
Whether age and education- al qualifications orescribed for lirect recruits will apply in the case of Promotees	Period of bation, if		Method of recrui whether by dire cruitment or by motion or by de tion/transfer and centage of the various methods	ect re- y pro- puta- l per- vacan-	motion/c grades f	of recruitmen deputation/tran rom which pr on/transfer to b	nsfei, omotion/		⊂ cxists, its com- n	Circumstances it which U.P.S.C. is to be consulted in makin, recruitment
8						11		1	.2	13
Not applicable	Two years		By transfer on da tion, failing wh direct recruit failing both b employment	ich by ment;	Suitable State analog years posts 450—1 respect educati fication direct (Period narily <b>Re-emplo</b> <b>Retirec</b> Corps of Service appiop possess and prescrii cruits i	recruits in l of deputati not exceeding yment : d Armed Officers/Centra officers c riate ran ing the edu other quali	Central/ holding with 10 prvice in of Rs. 01300 sing the er quali- ed for col 7. on ordi- 4 years) Medical J Health of the k/status teational fications rect re- the age	Not a	pplicable	As required under the Union Public Service Commis sion (Exemption from Consultation) Regulations, 1958".

799 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 14, 1973/CHAITRA 24, 1895 SEC. 3(i)] -----\_- - (1) इन नियमों का नाम भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग इन्पात और खान मंत्रालय III ग्रनुसचिवीय पद) (सणोधन) भर्ती नियम, 1973 होगा। (खान विभाग) नई दिल्ली, 2 ग्रप्रैल, 1973 (2) यह णानकीय राजपत्न में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे । सावकावनिव 393.--राष्ट्रपनि, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2 भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III ग्रन्सचिधीय पद) भर्ती नियम, 1968 में कम स॰ 14 ग्रौर तत्मम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चातु (वर्ग III ग्रनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 में ग्रौर श्रागे सणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते है, ग्रर्थात् — निम्नलिखित कम संख्यांक ग्रीर प्रविष्टिया ग्रतःस्थापित की जाएगी, ग्रर्थातु — 7 3 4 5 6 1  $\mathbf{2}$ महानियेशक के दैवकितक माधारण केन्द्रीय सेथा, ग्रनुसचिवीय 350 - 20 - 450 - 25 - 475लागु नही होता सागु नही होता "15. 1 ग्रगजपत्नित সুত। संशायक 14 10 11 1213 8 9

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मे नियुक्ति लागुनही हेता लागु नही होता लागू नही होता स्थानान्तरण लागुनही होता लाग् नही होता के पल्चात ग्रेड में दो वर्ष की नियमित बार() ग्राधार पर सेवा वाने ग्राधीक्षक पद से स्थानान्सरण । \*

[फा॰ सं॰ ए-12018/33/71-खान-2]

#### MINISTRY OF STEEL AND MINES

#### (Department of Mines)

New Delhi, the 2nd April, 1973

G.S.R. 393.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968, nemely :-

- 1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. In the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968 after Serial No.14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:---

1 2	3	4	5	6	7	8
"15. Personnel stant to D tor Gener	oirec-	General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted.	R s. 350-20-450-25- 475.	Not applicabl <del>e</del>	Not applicable	Not applicable
9				12		13 14
Not applicable	Not appl	icable Bv	ir T ir aı	ansfer from Supe to the Geological S ndia, with two yea to the grade rende pointment thereto ulat basis	Survey of 1s' service after	oplicable Not applic
					on a re-	

[File No. A-12018/33/71-M2.]

[PART II- -

 (!) इन नीयमो का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वक्षण (वर्ग JII भनमचिवीय पद) भर्ती (द्वितीय समोधन) नियम, 1973 होगा

(2) यह शामकीय राजपत्न मे अपपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।

- (1) ग्रावर श्रेणी लिपिक के पद के सवध मे अम संख्या 6 के ममक्ष, स्तम्भ 7 के प्रधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 श्रीर 25 वर्षों के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (2) ग्राशुलिपिक (मामूक्षी श्रेणी) के पद के संबंध में कम संख्या 9 के समक्ष स्तम्भ 7 के ग्रधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 श्रीर 25 वर्षों के बीज" प्रविष्टि प्रनिस्थापित की जाएगी;
- (3) स्टोर कलर्फ के पद के संबंध में कमसंख्या 11 के समक्ष, स्तम्भ 7 के ग्राधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 म्रीर 25 वर्षों के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फाइल सं०ए-12019/7/72 खान-2]

**G.S.R.** 394.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III—Ministerial Posts—Recruitment Rules, 1968, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class iII-Ministerlal Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date or their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Class III-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968,-

- against serial number 6 relating to the post of Lower Division Clerk, for the entry under column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted;
- (2) against serial number 9 relating to the post of Stenographet (Ordinary Grade), for the entry under Column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted;
- (3) against serial number 11 relating to the post of Store Clerk for the entry under column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted.

[File No. A-12018/7/72-M 2]

सा० का० नि० 395—राष्ट्रपति, सविधान के ग्रनुभ्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III ग्रननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 में त्रौर आगे संशोधन करने के लिए निम्नाणिखिन नियम एसद्वारा बनाने हैं, प्रथात् :---

 1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूबैंज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III ग्रननसचिवीय पद) भर्ती (द्वितीय संगोधन) नियम, 1973 होगा। (2) यह णास्त्रकीय राजपक्ष मैं प्राग्ने प्रकाशन की तारोख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेअग (वर्ग III ग्रननुसचिवीय) भर्ती नियम, 1968 की प्रनुसूची मे सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद से संबंधित ऋम स० 51 के विरुद्ध स्तम्भ 7 के प्रधीन प्रविध्टिक स्थान पर तिस्तर्लिखा प्रविध्टि को प्रतिस्वाधित किया आएगा, प्रधति .

"23 मौर 35 वर्ष के बीज"

[फा० सं० ए-12018/14/72-म्बान-2]

विरेन्द्र गोपाल निगम, उपमचित

G.S.R. 395.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III—Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class III Non-Ministerial posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Class III Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, against Serial Number 51 relating to the post of Assistant Librarian, for the entry under column 7, the following shall be substituted, namely:—

"Between 23 and 35 years."

[File No. A-12018/14/72-M2]

V G. NIGAM, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

#### New Delhi, the 24th March, 1973

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971.

- 1. (1) These rules may be called the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, against the posts of Lower Division Clerk, in column 6, for the words and figures "Not less than 18 years and not more than 21 years", the following words and figures shall be substituted, namely:—

"Minimum 18 years and maximum 25 years"

[No. A-12019/4/72-Admn.]

J. SANYAL, Under Sccy.

-----

\_\_\_\_

# शिक्षा ग्रीर समाज कल्याण मंत्रालय

# विज्ञान और प्रोद्योगिनी विमाग

नई दिल्ली, 13 मार्च 1973

सा० का० ति० 397----राष्ट्रपति, संविधान के ध्रनुच्छेद 309 के परन्तुक ढारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग । ग्रौर वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 में ग्रौर संगोधन करने के लिए निम्नलिखिन नियम एनवढारा बनाते हैं, ग्रथांत् :---

- (1) इन नीयमों का नाम भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 क्रीर वर्ग 2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 है।
  - (2) ये राजपल में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 ग्रीर वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 की ग्रनुसूची में, कम सं० 6 "दस्तावेजी ग्रधिकारी" ग्रीर उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित कम सं० ग्रीर प्रविष्टियां ग्रन्तःस्थापित की जाएगी, प्रथति्ः----

				ग्रनुसूची				
	हों की ख्या	वर्गीकरण	वेतनामन	चयन पद प्रथवा प्रचयन पद	सीधे भर्ती किए वाले व्यक्तियो के भ्रायु-सीमा	केलिए, कि	-	जाने वाले व्यक्तियों के सक भ्रौर भन्य भर्हताएँ
1	2	3	4	5	6			7
7. प्रकाशन उत्पादन श्वधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय (वर्ग-ॉ राजपसि		0 लागूनही होता	40 वर्ष (स सेवकों के शिथिल की सकेगी)	लिए । ( ( ( i	प्राप्त सकनी सहग्रद्ध व्यव ii) विभिन्न प्रक बुलेटिनो, ति ग्रादि के मु हैस्यित में स मुद्रण प्रकि मुद्रण-रूप-स- ग्रभिन्यास, निर्धारण का (ग्रन्यथा सु देशा में प्रहे मुनार शिथि isनीय: i) किसी मान्य से डिग्री ।	विषेश में किसी मान्यता की संस्था से मुंद्रण धौर साय में डिप्लोमा । गर की वैज्ञानिक पुरतको गर की वैज्ञानिक पुरतको गर के विवेका रण/उत्पादन मे पर्यवेधी गभग 8 वर्ष का ग्रनुभव । परिमापन ग्रीर मूल्य- उपयुक्त ज्ञान । (प्राहित प्रभ्याथियों की ताएं ग्रायोग के विवेका- ल की जा सकेंगी । ताप्राप्त विश्वविद्यालय विक्रय में प्रनुभव ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित प्राय प्रौर गैंक्षिक प्रईताएं प्रोन्नति की वगा में लागू होंगी या नहीं		धि,यदिकोई ह हो न प	सर्ती की पढति/भर्ती प्रोन्नति गराया प्रतिनियुक्ति/स्थाना- त्तरण द्वारा तथा विभिन्न ग्रातियों द्वारा भरी जाने गली रिक्तियों की प्रतिशत्ता	भर्सीकी दशा में वे	श्रेणियां जिनसे प्र	ীন্নবি/ স	दि विभागीय तिन्नति समिति हो ते उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परस्थितियो में संघ लोक सेवा श्रायोगसे परामर्शकिया जाएगा
8			10		11		12	13
लागू नहीं होता	2 व	 र्ष प्र	तिनयुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सोधी भर्ती ढारा	भ्रन्य अर्हताए रख के अधीन सदृण या 400–950	भर्ती किए जाने ए विहित शैक्षिक ने वाले केन्द्रीय स पद धारण करने र० के वेतनमा कम से कम 5 वा गरी । थ्रवधि सामान्यतय	बाले इम्रौर रकार वाले न या र्ष की	 गगू नही होता	र्संब लोक सेवा माथोग (परामर्थ से छूट) विनियम, 1958के ग्रधीन यथापेक्षित ।
			· · · · · · · · · · · · · · · · ·		` <u> </u>			8(16)/71-सर्वे 3]

# [स॰ ए॰ 12018(16)/71-सर्वे 3] ए॰ सी॰ सेठी, ग्रयर सचिव।

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (Department of Science and Technology)

#### New Delhi, the 13th March, 1973

G.S.R. 397.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

- 1. (1) These Rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 5 "Documentation Officer" and the entrics relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :---

"here enter the details of 7 from the enclosed Schedule".

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selec- tion post or non- selection post	Age limit for direct recruit		l and other quali- required for uits.
1	2	3	4	5	6	1	7
7. Publication Production Officer	1	General Central Service Class-I Gazetted	Rs. 700-50-125	0 Not applicable	40 years (Rela able for Go- vernment ser- vants)	(i) Diplo and a a rec cal India	ma in Printing llied trades from cognised techni- institution in or abroad.
						pervis print of ve	ence in a su- ory capacity in ing/production rious types of fic books, bul- brochures,
						(iii) Sound printin techni phical	knowledge of ng processes and ques, typogra- designing, lay- estimating and
						Commis tion in	case of candi- otherwise well
						Desirable	
						(i) Degree nised	of <b>a recog-</b> University.
						(ii) Experi	-
Whether age and educational qualifications prescribed for the direct re- cruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	by deputation/t	by promotion of ransfer & per- vacancies to be	In case of rectt. by p deputation/transfer, gr which promotion/deput fer to be made	ades from ts.	what is its	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruit- ment
8	9		10			12	13
Not applicable	2 years	Transfer on o which by dire	deputation failing ect recruitment	Transfer on deputation Officers under the Centr ment holding analog or with at least 5 yc in the posts in the so 400-950 or equivaler sing the educational qualifications prescrit ect recruits in column (Period of deputation not exceeding 3 years	al Govern- gous posts ars service cale of Rs. nt, posses- and other oed for dir- tor dir- tordinarily	Not applicable	As required un- der the Uni- on Public Service Commission (Exemption from con- sultation) Regulations, 1958.

#### SCHEDULE

[No. A. 12018(16)/71-Sur. 3]S. C. SETH, Under Secy.

SEC. 3(i)]

# पैद्रोलियम भौर रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)

नई विल्ली, 4 मप्रैल, 1973

सा॰ भा॰ लि॰ 398.— तेल क्षेत्र (विनियमन भौर (विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 भौर 6 द्वारा प्रवस शक्तियो का अयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम भौर प्राक्टतिक नैस नियमावली, 1959 में भौर आगे संशोधन करने के लिए एतद्दारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :---

- (i) ये नियम पट्रोलियम त्रौर प्राकृतिक गैम (द्वितीय संगोधन)<sup>-</sup> नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपक में प्रकाणन की तिथि से लागू समझे जायेगे।
- 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 में :---
- (क) नियम 10 में, मन्त मे निम्नलिखित परस्तुक ओड़ा आए:

"बगर्ते कि केन्द्रीय सरकार की यदि तुष्टि हो कि ऐसा करना जनहित में भावश्यक है, तो वह मधिसूचना द्वारा लाइसेंस के लिए किसी प्रार्थना पन्न के संदर्भ में उपर्युक्त क्षेत्र से संबंधित गर्त में छट दे सकती है,"

(बा) नियम 12 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए प्रयोत् :

''बशतें कि केन्द्रीय सरकार की यदि सुष्ति हो कि ऐसा करना अनहित में ग्रावश्यक है, तो वह ग्रधिसूचना ढारा पट्टे के लिए किसी प्रार्थना-पन्न के संदर्भ में उपर्युक्त क्षेत्न से संबंधित शर्त में छूट दे सकती है ।''

[संख्या 12/17/72-एल एण्ड एल]

राजेन्द्रनाथ कोपड़ा, ग्रवर सचिव ।

# MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

#### (Department of Petroleum)

# New Delhi, the 4th April, 1973

**G.S.R.** 398.—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely:—

- (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Second Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959,---
    - (a) in rule 10, the following proviso shall be added at the end, namely:---
      - "Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary in public interest so to do, by notification, relax the condition regarding area aforesaid in relation to any application for licence.";
    - (b) in rule 12, the following proviso shall be added at the end, namely:---
      - "Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary in public interest so to do, by notification, relax the condition regarding area aforesaid, in relation to any application for lease."

[No. 12/17/72-L&L] R. N. CHOPRA, Under Secy.

#### सिंचाई गौर विद्युत मंत्रालय

मई विल्ली, 24 मार्च, 1973

सा० का० मि० 399—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (गंगा नदी-क्षेत्र जल स्त्रोत संगठन) अननुसचिवीय वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्दारा बनाते हैं, प्रर्थात् :---

 संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम सिंचाई ग्रीर विद्युत मंत्रालय (गंगा नवी-क्षेत्र जल स्त्रोत संगठन) अननुसचिवीय वर्ग 1 ग्रीर वर्ग 2 पव भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मनुमूची का संशोधन :---सिंचाई मौर विद्युत मंत्रालय (गुंगा नधी-क्षेत्र जल स्त्रोत संगठन) झननुसचिवीय बग 1 मौर वर्ग 2 पद मर्ती नियम, 1963 की झनुसूची में, कम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पक्ष्वास् निम्नलिखित कम सं० झौर प्रविष्टियां म्रंत स्थापिस की जाएंगी, श्रयति :----

[PART II—

					मनुसूच	û		
1	2			4		5	6	7
''6. उपमुख्य इंजीनियर	 एक		केन्द्रीय सेवा गं।	1800-100-20	00 fo	चयन	लागू नही होता	चित्रः स्वरंग्रे स्वरेता विक्तां स्वरंग्र
		 9	••	10		11	12	
लागू नही होता		ष्टो वर्ष	सघ लोग	/पदोन्नति पर रण द्वारा भयन इत्तेवा मायोग शैं से होगा।	निदेशक इंजीनिय के केन्द्रीय कारी या प्रायोग मे अधीक्षक श्रेणी), वर्ष की रे जिन्हे गंग का प्रगाद हो । गग मे उस श्रे प्रधीक्षक किया ज नदी-पान्न प्रधीक्षक नियुक्ति है तो य गया सम	(प्रोक्षति पर स्थानास्सरण (चयन श्रेणी)/ग्रधीक्षक- र (चयन श्रेणी) की पंक्ति । /राज्य सरकार के प्रधि- केन्द्रीय जल ग्रौर विखुत गं निदेशक (साधारण वंजीनियर (साधारण (जिनकी उम श्रेणी में 5 सेवा हो) जलविक्या ग्रौर ता नदी क्षेत्र के जल प्रयोग इ ज्ञान ग्रौर प्रनुभव प्राप्त ा नदी क्षेत्र के जल प्रयोग इ ज्ञान ग्रौर प्रनुभव प्राप्त र ज्ञीनियर, पर भी विचान र इजीनियर, पर भी विचान इ ज्ञीनियर इस पद पन के लिए चुन लिया जात ह पद पदोन्नति द्वारा भन् को लिए चुन लिया जात ह पद पदोन्नति द्वारा भन् को ज्ञवधि—मासूर्ल 5 वर्ष से ग्रनधिक होगी)	י י ז אי אי אי אי אי אי אי אי אי אי אי אי אי	सष लोक सेवा माथीग (परामर्श से छूट) विभिय 1958 के अधीर यथा भर्षेक्षित।''

[स॰ 7/72(फा॰6/1/71-प्रशा-5)] जे॰ के॰ साहा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 24th March, 1973

G.S.R. 399.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class ] and II Posts Recruitment Rules, 1963, namely :—

# Short title and commencement :

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class I and Class II Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### Amendment of the Schedule :

2. In the Schedule to the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class I and Class II Posts Recruitment Rules, 1963, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entires shall be inserted, namely :---

"6 Deputy Chief En-

gineer.

-----

Not appli-

cable

8

One

9

Two years

Commission, having

Water

above is

motion.

vears.

knowledge and experience of hydrology and water use

the Ganga Basin. Superintending Engineer in the Ganga Basin

with 5 years' service in the grade will also be considered. If

Superintending Engineer in the Ganga Basin Water Resources Organisation mentioned

ment to the post, it will be treated having been filled by pro-tion. (Period of deputation

-Ordinarily not exceeding

Resources Organisation

selected for appoint-

		SCHEDULE				
2	3	4	5		6	7
One	General Centra Service, Class I		Selection	Not ar	oplicable	Not applicable
<u> </u>	10	11		12		13
tion, tion cons Unio	ransfer on deputa- /Promotion selec- being made in sultation with the on Public service nmission.	Transfer on deputation/prom Officers of the Central/St: of the rank of Director ( Grade)/Superintending (Selection Grade), or (Ordinary Grade)/ Sup ing Engineer (Ordinar (with 5 years' service in th in the Central Water	ate Govt. p Sclection P Engineer C Director perintend- y Grade) ne Grade)	ss 1 De- artmental romotion Committee	Unioi Comr tion	uired under the n Public Service nission (Exemp- from Consulta Regulations, 1958,

intimate

of

the

[No. 7/72 (F.6/1/71-Adm.V.)] J. K. SAHA, Under Secy.

#### नई विल्ली, 28 मार्च, 1973

सा० का० नि० 400,----राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के भ्रधीन गंगा बाढ नियंत्रण आयोग में कतिपय वर्ग III, मनुसचिवीय पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं, अर्थातः----

1. संक्षिप्त नाम झौर प्रारम्भ:----(1) इन नियमों का नाम गंगा बाढु नियंत्रण ग्रायोग (धर्ग III पद) भर्ती नियम, 1972 है।

(2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्त होंगे।

2. लागु होना :--- ये नियम इससे उपाबद अनुसूची के स्तंभ 1 मे विनिर्विषट पदो की भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण ग्रीर वेतनमान :----पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण झौर उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त मनुसूची के स्तभ 2 से 4 सकमें विनिर्दिष्ट हैं।

 भर्ती की पद्धति, ग्रायु सीमा ग्रौर ग्रन्य बातें :--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, ग्रायु सीमा, ग्रौर उनसे सम्बन्धित ग्रन्य बाते वे होंगी जो उक्त ग्रनुसूची के स्तभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु सोधो भर्ती के लिए विहित ग्रधिकतम ग्राय-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी **प्रनुसूचित जाति या मनुसूचित जनजाति या किन्ही** प्रन्य विशोध प्रवर्गों के भ्रभ्यथियों के सबध में शिथिल की जासकेगी।

5. शिरहंताएं :---वह व्यक्ति----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने प्रयने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.

उपर्युक्त किसी पद पर नियुक्ति का पाक्ष नहीं होगां।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हा जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागूस्वीय विधि के ग्राधीन ग्रन्इोय है और ऐसा करने के लिए श्रन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

 शामिल करने को शामिल :--- जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबंध करके, इन नीयमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्गके व्यक्तियां की बाबस, क्रावेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

# धनुसूची

# परिशिष्ट 1

विद्तु मौर सिंचाई मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में वर्ग III पद (अनुसचिधीय) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	<b>थे तनमान</b>	चयन पद सभ्यक्षा स्रजयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्सियों के लिए भायू-सीमा	सीधे भर्ती कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भपे- क्षित शैक्षिक भौर भन्य भहेंताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. भाशुसिधिक भेणी II	2 सा	वर्ग III, भराज- :	10-10-290-15- 320-द० रो०-15-42 रू०	<b>च</b> यम 5	लागू नहीं होता	लागू महीं होसा
2. श्राणुसिपिक श्रेणी III	5		30-6-160-8-200- ब॰रो०-8-256-8- 280-10-300 र०	सागू नही होता	18-25 वर्ष के बीच	मैट्रिक या समसुस्य झहेता ग्राणुलिपि में 100 ण०प्र०मि० झौर टाइ- पिग में 40 प्रा०प्र०मि० को न्यूनतम गसि
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित मायु श्रीर गैक्षिक महेताएं प्रोकतों की दगा में लानू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की म्रवधि/ पद्धति, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रो द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थ न्तरण द्वारा सथा वि पद्धतियों द्वारा भरी अ वाली रिक्तिमों की प्र बातता	ाना- द्वारा भर्ती क भेक्ष जिनसे प्रोक्ष जाने नान्तरण कि	नेयुक्ति/स्थानाग्तरण ो दणा में वे श्रेणियां ते/प्रतिनियुक्ति/स्था- था जामगा	मदि विभागीय प्रो। समिति हो तो उस संरचना	•
8	9	10		11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोक्षति ढारा जिसके न सकने पर प्रतिनिय् पर स्थानान्तरण ढार	ुफिस गंगाबाढ़ नियं ता III प्रासु ओणी में क सेवा हो म 120 सक्ष	ाः लेण भायोग में श्रेणी लिपिक, जिनकी उस म से कम 5 वर्ष की रि जो भाशुलिपि में प्र०मि० की विभा- भा में महित हों।	वर्गIII वि	०प्रो०स० लागू नहीं द्योस
			प्रतिमियुक्ति	<b>EIVI</b> :		
			के उपर्युग प्रसिनियु	सरकार के विभागों त झाणुलिपिकों की क्त (प्रतिमियुक्ति की सामान्यत: 3 अर्थ से हीं होगी)		
<b>लागू नहीं</b> होता	वो धर्थ	100 प्रतिगत सीधी भर	र्गिद्वारा लागूनह	<u> </u>	लागू नहीं होता	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
3. प्रधान लिपिक	3		। 0- 300- 1 5- 330- ० 1 <b>5 38 0-</b> ६०	चयन	लागूनही होता	लागू नहीं होता
4. उच्च श्रेणी सिपिक/ रोकडि़्या	4	-यथोक्स- 130 200 256 रोकड़ि	° <b>लि० के लिए</b> -5-160-160-8- -ब०रो०-8- -8-280-10-300 क∘ <b>वा के लिए</b> ा-समय पर यथा-	ग्रचयन	लागू <b>न</b> हीं होता	लागू नहीं होता
		मनुर	र्येय विश्वेष वेतन तश्रेणी वेतन ।			
8	9	10	11		12	13
लागू नही होता	2 वर्ष	66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थान न्तरण द्वारा 33-1/3 प्रतिशत प्रतिनियु पर स्थानान्तरण द्वारा।	रोकड़िया की औ ॥- ओणी में 5 वर्ष प्रतिनियुक्ति द्वार	गीमें से, जिनकी की सेवा हो । त∽ सरकार के बाम लिपिकों लिपिकों की त प्रधिकारी तेमियुक्ति की बत्त 3 जर्ष से	वर्गIII वि०प्रो०स०	लागू नहीं होत
लागू नही होता	2 वर्ष	प्रोन्नसि ढारा, जिसके न सकने पर प्रसिनियुर्ा ढ्रारा		ी में से जिनकी	वर्गे III वि०प्रो०स०	लागू न <b>हीं हो</b> ता
		टिप्पण :रोकड़िया पद किसी उपयुक्त उ श्रेणी लिपिक द्वारा भ आएगा ।	रा उ०श्रे०सि० या श्रे०लि० की श्रे उपयुक्त वर्ष जिनकी 3 वर्ष उन प्रधिकारिय राज्य सरकार सरकार के श्र लयों में उस श्रो सेवा हो (प्री	पिकीय सेवा के (स्थायी नि० बेली में से उन बेकारियों की की सेवाहो या की सेवाहो या की सेवाहो या की के जिनकी तथा केन्द्रीय राधीनस्थ कार्या- गीमें 8 वर्ष की नेयत: 3 वर्ष से		

1	2	3	4	5	6	7
———- – – ——- निम्न श्रेणी लिपिक		साधारण केन्द्रीय सेवा,	110-3-131-4-155-	लागू नही होता	 18-25 वर्ष के	(I) मैट्रिक पास या सग
		थर्गIII, अराज-	<b>द</b> ०रो०- <del>1</del> - 1 7 5 <del>*</del> 5-		बीख	तुल्य महंता
		पत्नित <b>अनुस</b> चिवी <i>य</i>	180 至0			(II) टाइएप की 30 ग
						प्र०मि० की न्यूनस
						गति, परन्तु '
						(क) टाइपिंग में उग
						अर्हता न रखने वाल
						कोई व्यक्ति इस शर्त
						मधीन रहते हुए नियु
						किया जासकेगाकि भ
						वेतनमान में वार्षि
						वृद्धि प्राप्त करने
						<b>अेणी में स्थायीवतता</b>
						स्यायी होने <b>के</b> लिए
						तक पान नही होगा <b>प</b>
						तक कि कह 30 ा
						प्र०मि० की गति प्र
						नही कर लेता ;
						(ख) गारीरिक रूप
						भसुविधाग्रस्त ऐसे कि
						व्यक्ति को
						लिपिकीय पद धा
						करने के लिए ग्रन्थ
						महित है, लेकिन जि
						पास टाइप करने
						उक्त भ्रहेता नही
						इस गर्त के झध
						नियुक्त किया जा सब
						कि बसुविधाग्र
						व्यक्तियों के लिए वि
						रोजगार कार्यालयों
						सम् <b>वद्व</b> चिकित्सा-कोर्ड
						जहांऐसा बोर्डन
						वहां सिविल सर्जन
						प्रमाणित करेकि उ
						ग्रसुविधाग्रस्त व्य
						टाइप करने के f
						उपयुक्त स्थिति में व
						₹1.

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 	9	10	11	12	13
हा	दो वर्ष	सीखे <b>भर्ती द्वा</b> रा	लागू नही होगा	लागू सही होता	लाग् नही होत
		<b>दिप्पण</b> .—निम्न श्रेणी लिपिक			
		की श्रेणी में सीधे भर्सी			
		द्वारा भरी जाने वाली			
		रिक्तियो की 10 प्रति-			
		शत रिक्तियां वर्गIV			
		कर्मचारियों (गंगा			
		बाढ़ नियस्रण भाषोग			
		के नियमित स्थापन पर)			
		ढारा भरी जाने			
		के लिए निम्नलिखित			
		सतों के झधीन रहने हुए			
		मारक्षित <b>्रयी</b> जाएगी;			
		(क) चयन उस विभागीय			
		परीक्षा के माध्यम से किया			
		जाएगा जो वर्ग IV के उन			
		कर्मचारियों तक सीमित			
		रहेंगे जिनके पास न्यूनतम			
		शैक्षिक महंताएं मर्थात्			
		मैट्रिक या समतुल्य भईता -			
		<b>ð</b> ;			
		(बा) इ.स. परीक्षा के लिए			
		ग्रधिकतम भायु 45 वर्ष			
		होगी । (म्रनुसूचित			
		जाति/मनुसूचित जम-			
		जाति के लिए 50 वर्ष);			
		(ग) वर्ग4 में कम से कम			
		5 वर्षं की सेवाम्ननि∼			
		वार्य होगी ;			
		(च) इस पद्धति द्वारा भर्ती			
		किए जाने वाले व्यक्तियों			
		की अधिकतम संख्या			
		किसी वर्ष में निम्न			
		श्रेणी लिपिक के काडर में			
		<b>हुई रिक्तियों</b> की 10			
		प्रतिमत रिक्तियों तक			
		मीमित होगी, न भरी			
		गई रिक्तियो को आगे			
		नहीं ले जाया जायेगा ।			

\_\_\_\_

\_\_\_\_

#### New Delhi, the 28th March, 1973

**G S.R. 400.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III Ministerial Posts in the Ganga Plood Control Commission under the Ministry of Irrigation and Power, namely:

1. Short title and commencement....(1) These rules may be called the Ganga Flood Control Commission (Class III posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply for recruitment to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, ane limit and other matters.— The method of recruitment to the said posts, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

- Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging/ to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
- 5. Disqualifications .- No person,
  - (a) who has entered into or contratced a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered iuto or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the above posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

#### ANNEXURE I SCHEDULE

Recruitment Rules for Class III posts (Ministerial) in the Ganga flood Control Commission under Ministry of Irrigation and Power

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay		Whether selec- tion post or non-selection post	Age for dir recruits	ect	Education qualification direc	al & other ns required for et recruit
-	2	3	4	-	5	6		_,	7
1. Stenographer Grade II	2	General Central Service Class III, Non-gazetted, Non-ministerial	Rs.210-10-290-1 320-EB-15-425	5-	Selection	Not appli	cable	Not	applicable
2. Stenographer Grade III	5	-do-	Rs,130-6-160-8-2 EB-8-256-8-280- 300	200- 1 10-	Not applicabl <del>e</del>	Between 18 years	- <b>2</b> 5	lent qua Minimum w.p.m. in	on or equiva- alification. speed of 100 Shorthand and n, in typing.
and educational qualifications	Method/ period of probation, if any	ther by direct re motion or by d	eputation/trans- of the vacancies	tion/de from w	putation/transf	er grades	jsts,	positien	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making re- cruitment.
	9	1	0					12	13
Not applicable	Two years	By promotion f transfer on de	ailing which by putation	by By Promotion from Stenographers Grade-III in the Ganga Flood Control Commission with not less than 5 years service in the grade and qualifying in depart- mental test at 120 w.p.m. in		anga Flood n with not rvice in the	Class	III D.P.C.	Not applicable
					al test at 120 thand.				
				Shor By dep graph verni riod		w.p.m. in able steno- l/State Go- nents. (Pc-			

. . . . . . . . . .

1	2	3	4	5	6		7
Head Clerk	3	General Central Servico, Class III Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 210-10-300-15- 330-EB-15-380.	Selection	Not applicable		Not applicable
l. Upper Divi- sion Clerk/Ca- shier	4	General Central Service, Class III Non-gazetted, Ministorial.	For U.D.C. Rs.130-5-160-8-200- FB-8-256-8-280-10-300 For Cashier Grade pay plus S.P. as admissible from time to time.	Non-Selection	Not applicable		Not applicable
. Lower Division Clerk	8	General Central Service, Class III Non-gazetted	Rs. 110-3-131-4-135- EB-4-175-5-180.	Not applicable	Between 1825 years.		Matriculation or equivalent qualifi- cation.
		Ministerial.					Minimum speed of 30 w.p.m. in type- writing.
						(a)	Provided that:— a person not posses- sing the said qualifi- cation in typing may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing incre- ments in the pay scale or for quasi-perman- ency or confirmation in the grade till be acquires a speed of 30 w.p.m.
						(b)	a physically handi- capped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board at- tached to the Special Linployment Exchanged for the handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon celtifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able

	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	66% % by promotion failing which by transfer on deputa- tion. 33-1/3% by transfer on deputation.	By promotion from the grade of UDC/Cashier with 5 years service in the grade. By deputation from Central/ State Government departments of suitable officers in the grade of Head Clerks or UDCs with 5 years service in the grade.	Class III D.P.C	Not applicable
			(Period of deputation normally not exceeding 3 years).		
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation.	By promotion from grade of Lo- wer Division Clerk with 8 years service in the grade.	Class III D.P.C.	Not applicable
		Note.—The post of Cashier shall be filled by appointment of a suitable UDC.	By Deputation of suitable officers in the grade of U.D.C.s or per- manent L.D.C. of CSCS with three years service or that of State Government and subordinate officers under Central Govern- ment with 8 years sorvice in the grade.		
			(Period of deputation normally not exceeding 5 years).		
Yes	fwo years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
		<ul> <li>Note.—10% of the vacancies in the grade of Lower Division Clerk to be filled by direct recruitment, will be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Ganga Flood Control Commission) subject to the following conditions:</li> <li>(a) Selection would be made through departmental examination confined to Class IV employees who</li> </ul>			
		fulfil the requirement of minimum educational qualifications, namely, Matriculation or equiva- lent qualification.			
		(b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for the Schedule Cast/the Sche- duled Tribes).			
		(c) At least 5 years' service in Class IV should be essen- tial.			
		(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occurring in a year; unfilled vacancies would			

SEC. 3(i)]

# पर्यटम तथा नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग)

# नई दिल्ली, 27 मार्च, 1973

सारकार्शनिक 401.----- राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन और नागर विमानन मत्नालय (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों मे वर्ग 4 पदो पर भर्ती की पद्धति को विनियमित्र करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्धाग बनाते है, अर्थास् .--

 संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ :---(1) इन नियमो का नाम पर्यटन ग्रीर नागर विमानन (पर्यटन विभाग) भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

लागू होना: — प्रे नियम इन नियमां से उपाबद अनुसूची के स्तम्स
 मे विनिर्दिष्ट पदो को लागू होगे।

3. संक्या, बर्गीकरण और वेतनमान :----पदो की सख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होगे जो उक्त प्रनुसूची के स्तम्भ अ से 5 तक मे विर्निविष्ट है।

4. मर्ती की पंडति, ग्रायु-सोमा ग्रीर प्रम्य ग्रर्हताएं :----उक्त पदो पर भर्ती की पडति, ग्रायु-सीमा, ग्रर्हताए ग्रीर उनसे संबंधित ग्रन्य बाते वे होगो जो उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट है.

परन्तु इस मनुसूची के स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती के लिए विनिदिष्ट मधिकतम श्रायु-सीमा, केन्द्रीय सरकार ढारा समय समय पर निकाल गए ग्रादेशो के ग्रनुसार, ग्रनुसूचित जातियो, श्रनुसूचित जनजातियो के भ्रभ्यर्थियों या किसी भ्रन्थ विणेष प्रवर्भ के व्यक्तियों के मामले में शिथिल को जा सकेगी ।

- 5 निरईताएं :----वह व्यक्ति----
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख्र) जिसने प्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पास नही होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के श्रधीन प्रनुत्रेय है ग्रीर ऐसा करने के लिए ग्रन्य ग्राधार सौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6 शिषिल करने की शक्ति:--जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना ग्रावश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिकढ़ करके इन नियमो के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पयों की बाबत, ग्रादेश द्वारा, शिक्षिल कर गलेगी।

7. म्यायूक्तिः ----इन नियमा की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं। डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के प्रनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्याधियों श्रीर अन्य विशेष प्रवर्गों के व्याक्सियों के लिए उपबन्ध करना भोषेक्षत है।

**प्रनुसूचो** 

पर्यटन विभाग, भारत सरकार, भारत में पर्यटन कार्यालयों में दफ्तरी, पैकर, चपरासी श्रौर फराश एवं झाड़कश/चौकीदार/माली श्रौर गैस्टेटनर प्रधालन के वर्ग 4 पदों के लिए भर्ती नियम

 कमम. पदकः न(म		 वर्गोकरण	—		
	વગામાં પાજીના	41111131	4074(7	चायन पद प्राथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए ग्रायु-सीमा
1 2	<u>J</u>	4			7
। दागरो		के द्रो र से ग (वर्ग ग्जपन्नित)	4 75-1-85-द० रो० 2-95	, ६० <b>प्रच</b> यन	
सीधे भर्ती किये जाने	ो जाले ज्यक्तियो के दि भौर मन्य ग्रहताए	नए अपेक्षित सैक्षिक	•	व्यक्तियों के लिए विहिन प्रोन्नसि की दणा मे लागू गनही।	परिकीक्षा की प्रविध यदि कॉर्फ हो
	8		9		10
<b>मिडिल स्कूल स्तर</b> तक	पास		नही		2 नर्षे
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विभिन्न पद्धतियो द्व	िसीधे होगी या प्रोन्नर् (स्थानान्तरण ढारा तथा ारा भरी जाने वाली तयो का प्रतिशत	) की दशा में के श्रेणि	केत/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती या जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियु(क्त/ रण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नलि समिति है तो उसकी संरचना	त भर्ती करने में किन परिश्थितियों में सघ लाक सेवा भ्रायांग से परामर्ण किया जाएगा
··	11	······································	1 2	<u> </u>	· ·
	र दानों के ही न होने	ा कम से कम स स्थानान्तरण ——ो कार के क्रीधी	री, जिसकी उस श्रेणी मे भिन वर्ष की सवा हो। रेसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सर- न समरुप या समतुल्य पद दे श्रौर जिनके पास स्तम्भ 8 ईताए हो।	वगं ⊥ वि० प्रो० स०	 लागू नही होता ।

814	THE GAZE	ETTE OF INI	DIA : APRIL 14, 1973/C	HAITRA 24, 189	5 [Part II—
1 2	3	4	5	6	7
2. पैंकर	5 स (पांच)	ाधारण केन्द्रीय सेवा स्रराजपत्नित)	। (वर्ग 4 75-1∼85 द० रो० 2-95 स्०	ग्रगयन	18 वर्ष भ्रौर 25 वर्ष के बीच

	· · · ·	,				
3. चेपरासी	22 (बाईस)	साधारण केन्द्रीय सेथा प्रराजपत्नित)	(वर्ग 4	7 ()- 1- 8 () द० रो०- 1- 85 रु०	लागू नहीं होता	18 वर्ष ग्रौर 25 वर्ष के बीच
4. फराश एवं साडूकश/ चौकीदार/माली ।	1 2 (कारह)		(वर्भ ∔	7 ()- 1- 8 ()-द०रो०- 1- 8 5 रु०	लागू नहीं होता	18 वर्ष श्रीर 25 वर्ष के वीच
<ol> <li>गेस्टेटनर प्र<b>वा</b>लक</li> </ol>	3 (तीन)	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रराजपत्नित)	(वर्ग 4	৪০-3-110 ই০	प्रचयंन	लागू नहीं होता

- .....

		·····
8	9	10
		2 वर्ष
वांछनीय :		,
पैकिंग में एक वर्ष का श्रनुभव मिडिल स्कूल स्तर तक पास	लागू नहीं होता	2 वर्ष
बाछनीय		
प्राइमरी स्कूल स्तर तक पास	लागू नहीं होसा	2 <b>वर्ष</b>
लागू नहीं होता	लागू <b>नहीं</b> होता	2 वर्ष
<u> </u>		

11	1 2	13	14
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर स्था- नान्तरण द्वारा।	स्थानान्तरणःऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सर- कार के कार्यालयों में समरुप या समतुल्य पद धारण करते हों श्रीर जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्विष्ट आर्हताएं हों।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्था- नान्तरण बारा ग्रौर दोनों के ही न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नतिः :——चपरासी, जिसकी उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा हो ।	वगँ 4 वि० प्रो० सं०	लागू नहीं होता ।
	स्थानास्तरण :––ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सर- कार के ग्रधीन समस्प या समतुस्य पद धारण करते हों ग्रीर जिनके पास स्तंभ ८ में विनिदिंष्ट ग्रर्हताएं हों।		
सीधी भर्ती बारा, जिसके न होने पर स्था- नान्तरण द्वारा।	स्थामाग्तरणः–∽ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सर- कार के कार्यालयों में समरुप या समतुल्य पदरधारण करते हों।	लागू <b>न</b> हीं होता	लागू नहीं होता
प्रोन्नति ढारा	प्रोफ़्नसिः :—-गेस्टेटनर मणीनों के प्रचालित करने ग्रौर उन्हें बनाए रखने में प्रवीणता रखने याले दफ्तरी/पैकर, जिसकी उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा हो ।	वर्ग 4 वि० प्रो० सं०	लाग् सहीं होता ।

[फा० सं० ए 12018/1/72-टी०ए० 1] जी० एल० गृष्ता, उप सचिव

# MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (Department of Tourism)

\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

#### New Delhi, the 27th March, 1973

G.S.R. 401.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the Tourist Offices of Government of India under the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of Government of India (Class IV posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule :

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment in column 7 of the Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

#### 5. Disqualification .-- No person,---

\_\_\_\_ . . . . \_\_\_\_

- (a) who has entered into or contracted a maniage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

# Recruitment rules for class IV posts of daftry, packers, peon and frash-cum-sweeper chowkidar/mali and gesteiner operator in the Department of Tourism, Government of India tourist offices in India

SI. Name of post No.	No. of posts	Classification	Scales of pay	Whether Selection post or non-selec- tion post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualificatio required for direc recruits	
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Daftry	3 (Three)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 75-1-85- EB-2-95	Non- Selection	Between 18 years and 25 years.	Middle School Standard pass	No
Period for probation if any	by dir tion or and per	of recruitment wheth ect rectt. or by pron by deputation/trans recentage of the vacanc lled by various metho	no- tation/tran fer motion/de les	sfer grades	promotion/depu- from which pro- fer to be made	If a DPC exists what is its com- position	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10				12		13	14
2 years	by tran	 motion, failing whi sfer and failing both xruitment	ch <b>Promotion :</b> F by tinuous se	cons with at l rvice in the g	least 3 years' con- grade.	Class IV D.P.C.	Not applicable

|PART II-

1 2	۱ - –	4	5	() 	7	8	9
2. Packer	5 (Five)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 75-1-85- EB-2-95.	Non- Selection	Between 18 years and 25 years.	Middle School Standard Pass	No
						Desirable :	
						One year's experi- ence in Packing.	
3. Peon	22 (I wenty two)	General Contral Services (Class IV Non-gazetted)	<b>Rs. 70-1-</b> 80- E <b>B-</b> 1-85.	Not applicable	Between 18 years and 25 years	Middle School Standard Pass	Not applicable
4 Endels ours	12	General Contral	Rs. 70-1-80-	Not	Between 18	Desirable :	
<ol> <li>Frash-cum- Sweeper/ Chowkidar/ Mah</li> </ol>	(Twelve)	Services (Class IV Non-gazetted)	EB-1-85.	applicable	years and 25 years	A pass in the pri- mary School Stand ard	Not - applicable
5. Gesteiner Operator	3 (Three)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 80-3-110	Non- Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
10	—	<u> </u>	equivalent ment and	t posts under the posts under the posts under the posts of the posts o	olding similar or he Central Govern- alifications speci-	13	14
			fied in Co				<b>NT</b> ( <b>11 1 1</b>
Years	transfer	notion, failing which by and failing both by recruitment	v Promotion : vice in	the grade.	least 3 years' ser-	Class IV D.P.C.	Not applicable
			valent r	osts under the d possessing q	similar or equi- Central Govern- ualifications speci-		
2 years		ect recruitment failing by transfer	valent po	osts in Central G ssessing quali	g similar or equi- lovernment Offices fleations specified		Not applicabl
2 years		rect recruitment failin; by transfer	g <b>Transfer :</b> valent p Offices.	<ul> <li>Transfer : Persons holding similar or equivalent posts in the Central Government Offices.</li> </ul>		Not applicable	Not applicab
				D-ft-i/De-lee	ers with at least 3	Class IV DPC	Not applicabl

[F. No. A, 12018/1/72 T.A.I.] G. L. GUPTA, Deputy Secy.

# नई दिल्ली, 29 मार्च, 1973

सा०का०नि० 402.— सविधान के अनुच्छेव 309 के परन्तुक ढारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपनि एतद्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी III) तथा IV पत्र) भर्ती नियम, 1971 में आरेर आगे सणो-धन करते हुए, निम्तर्लिखित नियम बनाने है, प्रथीन् :---

- 1 (1) ये नियम भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी III तथा IV पद) भर्ती (सशोक्षन) नियम, 1973 कहे जा सर्केंगे।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होगे।

2 भारत मौसम विज्ञान विभाग (थेणी III तथा IV पद) मर्ती नियम, 1971 की ग्रनुपूची में, वैज्ञानिक सहायक (वेधणाला निरीक्षक के 3 पद तथा भंडार झौर पूर्ति महायक के 1 पद सहित) के पतो से संबंधित मत 3 के सामने :---

- - ''6 लागू नहीं होता।
  - 7. लागू नही होता।
  - 8 लागू नही होता ।"
- (2) कालम 10 के नीचे की गई प्रविष्टियों के स्थान पर मिम्न-लिखिन प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, ग्राथीलु:---

816

"75 प्रतिशत प्रवरता-व-गोम्यता के माधार पर प्रोन्नति ढारा; 25 प्रतिशत विभागीय उम्मीदवारो<sup>ँ</sup> तक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के म्राधार पर, चयन ढारा प्रोन्नति ढारा।''

> [सं०ए० 12034/11/71-एम] एस० म्रार० गर्मा, भवर सचिव

#### New Delhi, the 29th March, 1973

G.S.R. 402.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Class III and IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the India Mctcorological Department (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1971, against item 3 relating to the post of Scientific Assistant (including three posts of Inspector of Observatories and 1 post of Stores & Supply Assistant.)---

- (i) for the entries under columns 6 to 8, the following entries shall respectively be substituted, namely:----
  - "6. Not applicable.
  - 7. Not applicable
  - 8. Not applicable."
- (ii) for the entries under column 10, the following entries shall be substituted, namely:—
  - "75 per cent by promotion on the basis of scnioritycum-fitness; 25 per cent by promotion by selection on the basis of competitive cxmination restricated to departmental candidates."

[No. A. 12034/11/71-M] M. R. SHARMA, Under Secy. नौबहन ग्रौर परिबहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)

#### नई दिल्ली, 4 म्रप्रैंस, 1973

सा॰का॰नि॰ 403.—-मुस्बई पत्तन न्यास प्रथिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 13क की उपघारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका नियम उक्त प्रधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अवधि के भवर मुम्बई पत्तन के न्यासियों के बोर्ड के लिए दो न्यासियों को निर्वाचित करने में भ्रपने नियल्लणातीन कारणों से ग्रसफल रहा है, यह निदेश देती है कि उक्त न्यासियों का निर्वाचन, 31 मई, 1973 को या उसके पूर्व किया जाएगा ।

> [फा० सं० 8-पोजी ए० (35)/73] श्रीमती बी० निर्मल, ग्रावर सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

#### (Transport Wing)

#### New Delhi, the 4th April, 1973

**G.S.R.** 403.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13A of the Bombay Port Trust Act, 1879 (Bombay Act 6 of 1879), the Central Government, having been satisfied that the Municipal Corporation of Greater Bombay has failed to elect two trustees to the Board of Trustees of the Port of Bombay within the period specified in section 10 of the said Act for reasons beyond its control, hereby directs that the election of the said trustees shall be held on or before the 31st May, 1973.

[F. No. 8-PGA(35)/73] Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS (W.P.C. Wing) CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th March, 1973

G.S.R. 404.—In the Notification of Government of India in the Ministry of Communications (W.P.C. Wing) No. 131 (No, R-11014/4/70-LR) dated the 24th January, 1973 published at page 253 of the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) dated 10th February, 1973, in rule 2 clause (e) the figures '1965' shall be inserted after the word 'Montreux'.

> [R-11014/4/70-LR] M. K. RAO, Assistant Wireless Adviser